> हम इसी संगठन में गढ़े, बढ़े हैं. यहां हमने जो देखा, सीखा है वो और किसी संगठन में संभव नहीं था. नाबार्ड के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और यहां काम करके हमें खुशी मिलती है. यहां हमें हमेशा सही तरीके से, सही काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और हम इसके लिए जान भी दे सकते हैं. यहां सभी को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं. यदि आप उत्कृष्ट कार्य करें, तो शीर्ष पर पहुँचने से आपको कोई नहीं रोक सकता.
>
> *—जी.आर.चिंतला* [1]

8 संगठन और मानव संसाधन

8.1 प्रबंधन

नाबार्ड के प्रबंधन और व्यवसाय की शक्तियाँ भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक बोर्ड में निहित हैं. बोर्ड में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक (रिक्त), उप प्रबंध निदेशकों के अलावा निदेशक जिनमें नाबार्ड के कार्य से संबंधित क्षेत्रों और संस्थाओं जैसे ग्रामीण अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विशेषज्ञ और भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं.

डॉ. जी आर चिंतला ने 27 मई 2020 को निवर्तमान अध्यक्ष डॉ. एच के भनवाला से अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया (तालिका 8.1).

तालिका 8.1: वित्तीय वर्ष 2021 में निदेशक बोर्ड में हुए परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2021 में बोर्ड में शामिल हुए सदस्य	
नाम	*नियुक्ति की तिथि*
जी आर चिंतला, अध्यक्ष, नाबार्ड	27 मई 2020
शाजी के वी, उप प्रबंध निदेशक, नाबार्ड	21 मई 2020
पी वी एस सूर्यकुमार, उप प्रबंध निदेशक, नाबार्ड	21 मई 2020
नागेंद्र नाथ सिन्हा, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार	28 अप्रैल 2020
संजीव कौशिक, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	21 सितंबर 2020

बोर्ड के सदस्य जिनकी कार्यावधि वित्तीय वर्ष 2021 में समाप्त हुई	
नाम	*सेवा समाप्ति की तिथि*
राजेश भूषण, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार	26 अप्रैल 2020
एच. के भनवाला, अध्यक्ष, नाबार्ड (सेवानिवृत्त)	27 मई 2020
देबाशीष पांडा, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	20 सितंबर 2020
अशोक गुलाटी, इंफ़ोसिस पीठाचार्य, कृषि, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	9 फरवरी 2021
लाल्हमिंथंगा, आयुक्त व सचिव, कृषि एवं ग्रामीण विकास, मिज़ोरम सरकार	1 मार्च 2021

तालिका 8.2: वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकें

बोर्ड और इसकी समितियां	*बैठकों की संख्या*
निदेशक बोर्ड	7
कार्यपालक समिति	4
ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ़) के अंतर्गत ऋण मंजूरी समिति	5
आरआईडीएफ़ के अंतर्गत आंतरिक ऋण मंजूरी समिति	26
प्रबंधन समिति (जिसमें अध्यक्ष, दोनों उप प्रबंध निदेशक और चुनिंदा मुख्य महाप्रबंधक शामिल हैं)	19
लेखापरीक्षा समिति	4
जोखिम प्रबंधन समिति	4
सूचना प्रौद्योगिकी समिति	2
परिसर समिति	2

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान, नाबार्ड से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए बोर्ड और उसकी समितियों की कई बैठकें आयोजित की गईं (तालिका 8.2).

8.2 मानव संसाधन विकास

8.2.1 स्टाफ की स्थिति

नाबार्ड ने भारत सरकार के निर्धारित आरक्षण मानदंडों का कड़ाई से पालन करते हुए, योग्य और प्रशिक्षित मानव संसाधन के उच्च मानकों को निरंतर बनाए रखा है और विशिष्ट कार्यों के लिए संबंधित क्षेत्रों से जानकार विशेषज्ञों की भर्ती की है (चित्र 8.1). वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान, नाबार्ड ने 153 अधिकारियों, 86 विकास सहायकों, 44 कार्यालय परिचारिकों और 13 विशेषज्ञ सलाहकारों की भर्ती की है. युवा कर्मचारियों की भर्ती के साथ-साथ बड़ी संख्या में सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप नाबार्ड के कर्मचारियों की औसत आयु घटकर 46 वर्ष हो गई है.

चित्र 8.1: 31 मार्च 2021 की स्थिति में स्टाफ की स्थिति

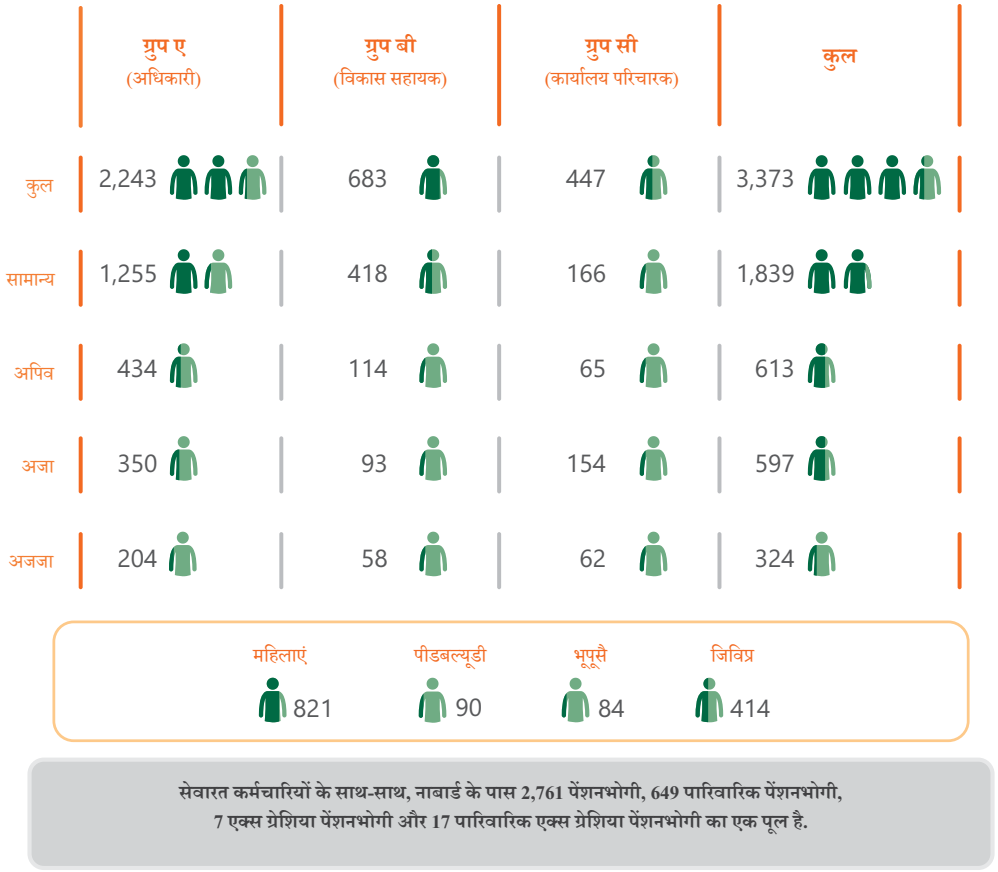

नोट : जिविप्र = ज़िला विकास प्रबंधक; भूपूसै = भूतपूर्व सैनिक; अपिव = अन्य पिछड़ा वर्ग; पीडब्ल्यूडी = दिव्यांग; अजा = अनुसूचित जाति; अजजा = अनुसूचित जनजाति.

8.2.2 प्रशिक्षण और विकास

नाबार्ड की प्रशिक्षण नीतियां और कार्यक्रम न केवल अपने स्टाफ बल्कि ग्राहक संस्थानों के कर्मचारियों के लिए भी ज्ञानार्जन और कौशल विकास का माहौल बनाते हैं. वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए गए थे (चित्र 8.2).

चित्र 8.2 में सूचीबद्ध कार्यक्रमों के अलावा, नाबार्ड के कर्मचारी इसके लचीले आंतरिक ई-लर्निंग अवसरों का भी लाभ उठा सकते हैं. उदाहरण के लिए 1,676 अधिकारियों ने वर्ष के दौरान अपने संबंधित डेस्क कार्यों में नैबस्कॉलर (वित्तीय वर्ष 2021 में राष्ट्रीय बैंक स्टाफ कॉलेज द्वारा शुरू किया गया) का कम से कम एक मॉड्यूल पूरा किया.

इसके अलावा, नाबार्ड ने हरित वित्तपोषण, जलवायु परिवर्तन, बैंकिंग प्रौद्योगिकी और जोखिम प्रबंधन जैसे नए और उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के विभिन्न ऑफ-द-शेल्फ कार्यक्रमों के लिए 42 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया. साथ ही, नाबार्ड की प्रोत्साहन अध्ययन योजना के तहत 30 अधिकारियों ने पेशेवर और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया, जिसमें विदेश में उच्च अध्ययन करने वाला एक अधिकारी शामिल है (चित्र 8.2).

नाबार्ड अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), और अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) से संबंधित व्यक्तियों की भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करता है. हमने 366 उम्मीदवारों (185 अधिकारियों और 181 कार्यालय परिचारकों सहित) के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के 311 उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की.

8.2.3 मानव संसाधन से संबंधित अन्य पहलें

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सामंजस्यपूर्ण बने रहे. समय-समय पर चर्चाएँ की गईं जिनमें नाबार्ड के प्रबंधन, ऑल इंडिया नेशनल बैंक ऑफिसर्स

चित्र 8.2: 31 मार्च 2021 की स्थिति में स्टाफ और ग्राहकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

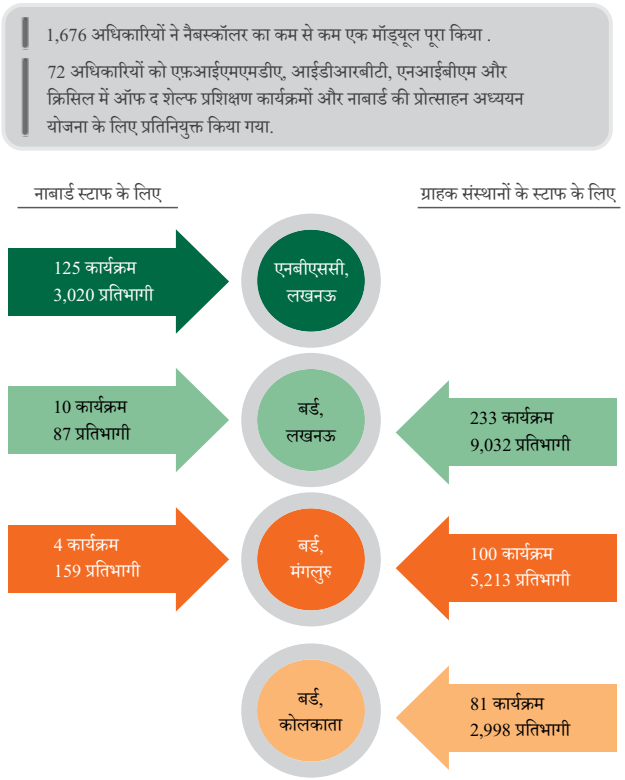

नोट: बर्ड = बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान; क्रिसिल = क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड; एफ़आईएमएमडीए = फ़िक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स असोशिएशन ऑफ इंडिया; आईडीआरबीटी = बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान; एनबीएससी = राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय; एनआईबीएम = राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान.

एसोसिएशन और ऑल इंडिया नाबार्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम

नाबार्ड अपने 821 महिला स्टाफ सदस्यों (कुल का लगभग एक-चौथाई) के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे के प्रति संवेदनशील है. अतः कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रधान कार्यालय में केंद्रीय शिकायत समिति और क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय शिकायत समिति का गठन किया गया है.

बीमा

सेवारत कर्मचारियों के लिए सभी समूह बीमा योजनाओं (आवास ऋण समूह बीमा योजना, वैकल्पिक समूह सावधि बीमा योजना और समूह मोटर वाहन बीमा पॉलिसी) और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समूह मेडिक्लेम पॉलिसी को पारस्परिक रूप से सहमत नियम व शर्तों पर अगले एक वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया.

कोविड अनुपालन

कोविड-19 संकट के दौरान, सम्पूर्ण भारतवर्ष में नाबार्ड कार्यालयों ने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने और व्यापार निरंतरता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के दिशानिर्देशों के साथ-साथ स्थानीय प्राधिकारियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार कई उपाय शुरू किए (सेक्शन 8.4 में बॉक्स 8.1). इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ निवारक उपायों पर निर्देश जारी करना, घर से काम करने के लिए दिशा-निर्देश, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दवाओं की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना, प्रतिष्ठित अस्पतालों में आइसोलेशन रूम की व्यवस्था करना आदि शामिल हैं. लॉकडाउन में ढील मिलने पर उचित सामाजिक दूरी सुनिश्चित करते हुए और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल के बदलावों को अपनाते हुए कार्यालय का सामान्य संचालन धीरे-धीरे फिर से शुरू किया गया.

8.3 पारदर्शिता संबंधी पहलें

8.3.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पारदर्शिता, सक्रिय प्रकटीकरण और सांविधिक दायित्वों के पालन के लिए, नाबार्ड सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अधीन मांगी गई सूचनाएँ प्रभावी रूप से प्रदान करता रहा है.

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अधीन सांविधिक दायित्वों के अनुपालन के लिए 35 वरिष्ठ अधिकारियों को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी (क्षेत्रीय कार्यालयों में 31, प्रशिक्षण संस्थान में 03 और प्रधान कार्यालय में 01) नामित किया गया है. श्री नृसिंह प्रसाद महापात्रा, मुख्य महाप्रबंधक अपीलीय प्राधिकारी हैं. वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान, हमें 1,801 आरटीआई आवेदन और 184 अपीलें प्राप्त हुईं. इनमें से 1,556 आवेदकों को सूचना प्रदान की गई (अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित आरटीआई आवेदनों सहित) और 176 अपीलों का निपटान किया गया.

8.3.2 शिकायत निवारण

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान, शिकायत निवारण समिति ने 12 शिकायत आवेदनों के निपटान के लिए दो बैठकें की, जिनमें वित्तीय वर्ष 2020 में 06 और चालू वर्ष में प्राप्त 06 (10 में से) शामिल थीं.

8.3.3 सतर्कता जागरुकता को बढ़ाना

सतर्कता नाबार्ड प्रबंधन कार्यों का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य सुदृढ़ प्रणाली और कार्य पद्धति, सुव्यवस्थित प्रक्रिया के साथ-साथ प्रभावी जाँच और नियंत्रण सुनिश्चित करना है. इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार के मार्गदर्शन में नाबार्ड प्रबंधन के समन्वय के साथ मुख्य सतर्कता अधिकारी (भारत सरकार द्वारा नियुक्त) द्वारा किए गए निवारक, निगरानी और दंडात्मक उपाय शामिल हैं.

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (27 अक्टूबर- 02 नवंबर 2020) के दौरान, नाबार्ड के सभी कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली और 2020 की थीम, 'सतर्क भारत, समृद्ध भारत' के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया.

निरीक्षण रिपोर्टों के अवलोकन, अनर्जक आस्तियों पर डेटा, वार्षिक संपत्ति विवरण और संविदाओं की जांच, यादृच्छिक जांच की गई, और संदिग्ध सत्यनिष्ठा के अधिकारियों की सूची तथा वार्षिक एग्रीड सूची तैयार करने जैसे निगरानी के उपाय किए गए.

सतर्कता कक्ष निरंतर निगरानी और जांच के माध्यम से निवारक सतर्कता उपायों पर जोर देता है, प्रणाली में सुधार के साथ-साथ कर्मचारियों को जागरूक करने और अभिवृत्तिक अभिमुखीकरण पर भी जोर दिया जाता है. यह कक्ष नाबार्ड को संबल प्रदान करने हेतु नैतिक कार्य पद्धतियों को मजबूत करने में प्रबंधन को सहायता प्रदान करके एक सुदृढ़ आधार का कार्य करता है.

8.4 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहलें

8.4.1 एंटरप्राइज़ लेवल सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन की क्षमता बढ़ाना

नाबार्ड वर्तमान में सात एंटरप्राइज़ सोफ्टवेयरों-मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस), केंद्रीकृत ऋण प्रबंधन और लेखांकन प्रणाली (सीएलएमएएस), स्थायी आस्ति प्रबंधन प्रणाली, ट्रेजरी और आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली, विवरणियों की इलेक्ट्रोनिक प्रस्तुति (एन्श्योर),एंटरप्राइज़ कंटेंट प्रबंधन (ईसीएम) प्रणाली और नाबार्ड कॉर्पोरेट इंट्रानेट—का कार्यान्वयन कर रहा है, जिन्हें उपयोगकर्ता से प्राप्त फीडबैक के आधार पर निरंतर अद्यतन किया जाता है.

8.4.2 एन्श्योर: अनुप्रवर्तन हेतु कॉल सेंटर

इस पर 228 से अधिक विवरणियाँ और 411 रिपोर्टें तैयार / जारी की गईं. ग्राहक संस्थानों द्वारा आवधिक आधार पर विवरणियाँ प्रस्तुत करने के कार्य की निगरानी की ज़िम्मेदारी एक आउटबाउंड कॉल सेंटर को दी गई है जिससे कर्मचारियों का मूल्यवान समय बचेगा और उसका उपयोग अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा.

8.4.3 सीएलएमएएस को अपग्रेड करना

सीएलएमएएस को एपीआई क्षमताओं, उन्नत रिपोर्टिंग टूल और पोर्टल सहित अन्य सुविधाओं के साथ ग्राहक संस्थाओं के लिए इंटलेक्ट डिजिटल कोर सूट 2.0 में अपग्रेड किया जा रहा है.

8.4.4 सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना को मजबूत करना और सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा को बढ़ाना

1. सुरक्षा प्रयासों को मजबूत करने के लिए नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी) समाधानों पर प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं. एनएसी उन सभी उपकरणों का एक केंद्रीकृत प्रबंधन प्रदान करेगा जिनकी पहुंच नाबार्ड के लैन/वैन तक हो सकती है.
2. उद्योग जगत की सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुसार साइबर जोखिमों को कम करने के लिए साइबर बीमा पॉलिसी ली गई है.
3. कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के अलावा समय बचाने, दक्षता में सुधार और राजस्व और पूंजीगत लागत घटाने की दृष्टि से प्रधान कार्यालय के सभी विभागों में प्रबंधित प्रिंट सोल्युशन स्थापित किया गया है.
4. नाबार्ड ने ओपन ग्रुप आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क में दक्ष सलाहकारों के माध्यम से एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर दस्तावेज़ तैयार करने के लिए एक परियोजना शुरू की है.

बॉक्स 8.1: महामारी के समय कार्य-प्रवाह परिवेश को सक्षम बनाना

विश्व में कोविड-19 महामारी के भीषण प्रकोप के कारण व्यवसायों को एक नए यथार्थ का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें घर से काम करने की 'नई व्यवस्था' को अपनाने और अपने कार्मिकों के साथ ऑनलाइन सहयोग की सुविधा के लिए बाध्य किया. नाबार्ड ने इस कार्य को सहजता से किया है. क्वारंटाइन और सामाजिक दूरी संबंधी नियमों का पालन करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से अपने-अपने घरों से प्रभावी ढंग से काम किया.

महामारी के दौरान व्यावसायिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहलें की गईं:

1. सुरक्षा और काम में आसानी सुनिश्चित करने के लिए 'क्या करें और क्या न करें' निर्दिष्ट करते हुए अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को वीपीएन कनेक्शन दिए गए.
2. वेबएक्स प्रशिक्षण उपकरणों के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थानों के लिए स्टाफ-प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्बाध रूप से संचालित करने की व्यवस्था की गई.
3. आंतरिक और बाहरी हितधारकों के साथ बैठकों हेतु इंटरनेट के माध्यम से वेबएक्स, टीम्स और गूगल मीट जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के व्यापक उपयोग की व्यवस्था की गई.
4. पर्याप्त पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर की सुविधाओं के साथ नाबार्ड के स्टाफ क्वार्टरों में मिनी कंप्यूटर लैब स्थापित किए गए. शीर्ष प्रबंधन के लिए एक अलग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की व्यवस्था की गई.

8.5 कॉर्पोरेट संचार पहलें

नाबार्ड सफलता की कहानियों के दस्तावेज़ीकरण, यूट्यूब वीडियो आदि के माध्यम से अपने लक्ष्य समूहों के बीच अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए समन्वित प्रयास करता रहा है. वर्ष के दौरान, नाबार्ड ने पूर्वोत्तर राज्यों पर नौ फिल्मों का निर्माण किया, जिससे अब तक निर्मित फिल्मों की कुल संख्या 246 हो गई है.

नाबार्ड का यूट्यूब चैनल www.youtube.com/nabardonline, कृषि, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषक उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, ग्रामीण नवाचारों आदि में सर्वोत्तम प्रथाओं पर निर्मित वृत्तचित्रों का संग्रह है. इस चैनल के 40,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं. 17 नवंबर 2020 तक, इस चैनल पर अपलोड की गई 283 फिल्मों को 214 से अधिक देशों से 35 लाख बार देखा गया. इन्हें 45 लाख मिनट तक देखा गया है. नाबार्ड के फेसबुक पेज पर अब तक लगभग 27000 फॉलोअर्स हो चुके हैं.

एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया के वार्षिक पुरस्कारों में नाबार्ड ने लगातार चौथी बार 'चैंपियन ऑफ चैंपियंस' पुरस्कार जीता. इसके अलावा, नाबार्ड ने विभिन्न श्रेणियों में अपने आंतरिक प्रकाशनों—नाबार्ड परिवार, सृजना, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से संबंधित ब्रोशर, कॉफी टेबल बुक, वॉलपेपर इत्यादि के लिए नौ पुरस्कार प्राप्त किए.

8.6 जोखिम प्रबंधन

नाबार्ड ने अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में एक व्यापक और विश्वसनीय जोखिम प्रबंधन प्रणाली को एकीकृत किया है, और इस प्रकार नाबार्ड यह सुनिश्चित करता है कि उधारकर्ता का जोखिम प्रोफ़ाइल नाबार्ड द्वारा निर्धारित जोखिम लेने की क्षमता के अनुरूप हो.

8.6.1 ऋण जोखिम

ऋण जोखिम से बचाव के लिए एक सुदृढ़ ऋण मूल्यांकन प्रणाली और कानूनी लेखा परीक्षा सहित संवितरण-पश्चात अनुप्रवर्तन की रूपरेखा तैयार की गई है. इसका उद्देश्य चूक की न्यूनतम संभावना के साथ ऋण परिसंपत्तियों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करना है. नाबार्ड के संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन हेतु ग्राहक संस्थानों की एक्सपोजर सीमाओं की निगरानी एकल और समूह स्तरों पर की जाती है. एक आंतरिक जोखिम रेटिंग प्रणाली उधारकर्ताओं से जुड़े जोखिम के स्तर का आकलन करती है और तदनुसार उचित जोखिम प्रीमियमों का निर्धारण सुनिश्चित करती है.

8.6.2 बाज़ार जोखिम

बाजार जोखिम का प्रबंधन ब्याज दर और चलनिधि जोखिम विश्लेषण; श्रेणी-वार आस्तियों और देनदारियों (गतिशील और स्थिर) के अंतर के विश्लेषण; चलनिधि और ब्याज दर दबाव परीक्षण; आकस्मिक निधि योजना; अल्पकालिक ऋण के अंतर्गत चुकौती के व्यवहार विश्लेषण आदि के माध्यम से किया जाता है. बाजार जोखिम मानकों से संबंधित पहलुओं की समीक्षा आस्ति देयता प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) द्वारा की जाती है.

8.6.3 परिचालनात्मक जोखिम

नाबार्ड व्यापक आंतरिक प्रणालियों और नियंत्रणों के माध्यम से सक्रिय रूप से परिचालन जोखिम का प्रबंधन करता है. इन उपायों में व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन कार्यक्रम की शुरूआत, डिजिटल जोखिम नियंत्रण और स्व-मूल्यांकन, आईटी एप्लिकेशनों के लिए डिजास्टर रिकवरी ड्रिल की समीक्षा और अनुपालन जोखिमों को कम करने के लिए सांविधिक और विनियामक विवरणियाँ प्रस्तुत करने की निगरानी शामिल है. प्रमुख परिचालन जोखिमों की पहचान और प्रबंधन, घटनाओं की रिपोर्ट और प्रबंधन, आउटसोर्सिंग और नए उत्पादों / प्रक्रियाओं से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति बनाई गई है. इसका उद्देश्य अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों, प्रणालियों और बाहरी घटनाओं से उत्पन्न जोखिम को कम करना है.

8.6.4 जोखिम अभिशासन संरचना

नाबार्ड ने उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति, आरएमसीबी और निदेशक मंडल के समक्ष समय-समय पर जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन कार्यनीतियों को रखने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की हैं.

8.6.5 संगठन-व्यापी जोखिम जागरूकता लाना

नाबार्ड अधिक संधारणीय और लाभदायक विकास प्रोफ़ाइल बनाने के लिए स्टाफ हेतु जोखिम प्रबंधन संबंधी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है.

8.7 निरीक्षण

नाबार्ड वित्तीय लेनदेन और परिचालनों से संबंधित विनियमों और मानदंडों का अनुपालन आवधिक निरीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित करता है. वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों (24), प्रधान कार्यालय के विभागों (23), प्रशिक्षण संस्थानों (2), और सहायक संस्थाओं (6) के 55 निरीक्षण किए गए. इसके अलावा, नाबार्ड ने बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति की सिफारिशों के आधार पर जोखिम-आधारित आंतरिक निरीक्षण और लेखा परीक्षा के लिए एक नीति और रूपरेखा तैयार की है.

8.8 राजभाषा का प्रसार

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया और कार्यालय के दैनिक कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए. भारत

सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2020-21 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाए गए. हमारे सभी कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की त्रैमासिक बैठकों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की उपलब्धियों की नियमित रूप से समीक्षा की गई.

नाबार्ड ने पारंगत कक्षाओं के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे ताकि हिन्दी पत्राचार को बढ़ावा मिले. वर्ष के दौरान, स्टाफ सदस्यों को हिंदी में कार्यालय नोट एवं मसौदे तैयार करने और हिंदी कार्यशालाओं और डेस्क प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से सूचना प्रौद्यौगिकी उपकरणों के उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया गया. हमारे सभी कार्यालयों में हिंदी दिवस मनाया गया और विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए. वर्ष के दौरान, प्रधान कार्यालय के आठ विभागों, सात क्षेत्रीय कार्यालयों और एक प्रशिक्षण संस्थान का राजभाषा निरीक्षण पूरा किया गया.

8.9 नाबार्ड द्वारा एशिया-पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन की अध्यक्षता

नाबार्ड ने पिछले चार दशकों में एशिया-पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन (अप्राका) जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संघों के साथ अपनी आपसी समझ और साझेदारी के आधार पर वित्तीय समावेशन और लोक संस्थानों के निर्माण की दिशा में कई पहलें की हैं. एशिया पैसेफिक रुरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन (अप्राका) और नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से मार्च 2021 में कृषक सामूहिकीकरण और ऋण गारंटी संबंधी रीजनल पॉलिसी फोरम का आयोजन इस तरह की साझेदारी का प्रमाण है. दो दशकों के अंतराल के बाद नाबार्ड के अध्यक्ष महोदय ने अप्राका की 22वीं साधारण सभा की बैठक के दौरान 05 मार्च 2021 से अप्राका के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया.इससे सदस्य देशों के साथ हमारे मैत्री संबंध मजबूत होते हैं और नाबार्ड के लंबे अनुभव के माध्यम से सदस्य देशों को आगे की रणनीति तैयार करने का अवसर प्राप्त होता है (बॉक्स 8.2).

नोट

1. डॉ. जी.आर.चिंतला द्वारा 28 जून 2021 को सीधी भर्ती-2021 के अधिकारियों के संबोधन से उद्धरण

बॉक्स 8.2: विभिन्न देशों के साथ पारस्परिक अनुभव और सहयोग को साझा करने के लिए नाबार्ड की पहल

एशिया-पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन (अप्राका), जिसकी अध्यक्षता वर्तमान में डॉ. जी आर चिंतला (अध्यक्ष, नाबार्ड) कर रहे हैं, एक ग्रामीण और कृषि वित्त संगठन है जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के लिए उत्पादकता, समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता और कल्याण को बढ़ावा देने में मदद करता है. इसका मिशन 'ग्रामीण वित्त की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना और ज्ञान साझा करने और सीखने, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है'.

समान सरोकारों के चलते नाबार्ड और अप्राका वित्तीय समावेशन, मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण और छोटे भू-धारकों के वित्तपोषण जैसे क्षेत्रों में साथ-साथ काम कर सकते हैं और इन क्षेत्रों में अप्राका के 43 सदस्य देशों के समृद्ध अनुभवों के आदान-प्रदान से लाभ उठा सकते हैं. सभी देश एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं और आपस में सहयोग कर सकते हैं. इस पारस्परिक सहयोग से हम इस कठिन समय को पार कर पाएंगे. अपने पहले सम्बोधन में डॉ. चिंतला ने यही उदगार व्यक्त किए थे.

एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस इन एशिया एंड पैसिफिक, फिलीपींस की 43 वीं वार्षिक बैठक में एसएमई विकास श्रेणी के तहत नाबार्ड को 'द सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड 2020' से सम्मानित किया गया. कृषि-व्यवसाय उद्भवन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-व्यवसाय और आय अर्जन के लिए एक अनुकूल वातावरण के सृजन में नाबार्ड की भूमिका का समादर करते हुए नाबार्ड को यह सम्मान प्रदान किया गया.